डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(आ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

आज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम

पीठासीन अधिकारीः– सुनीता मीना आर.ए.एस

उनवान

किशनसहाय पुत्र विशन्याराम मीना निवासी मीना सीमला तहसील सिकराय जिला दौसा।

(वादी)

बनाम

1. कजोड्या पुत्र पांच्या मीना
2. उमरेश पुत्र शिम्भू मीना
3. घम्मन पुत्र कान्हा मीना
4. भोलाराम पुत्र कंचन मीना
5. रामचरण पुत्र कंचन मीना
6. केहरी पुत्र घूड्या मीना
7. बाबू पुत्र घूड्या मीना
8. रामकिशोर पुत्र घूड्या मीना
9. रामस्वरूप पुत्र घूड्या मीना
   निवासीयान मेरेडा तहसील टोडाभीम
10. तहसीलदार टोडाभीम। प्रतिवादीगण

दावा बावत बटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मु0न0:– 10/2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबई श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट व .... हमारे मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है, कि ग्राम पाडला खालसा की आराजीयात मे डिक्री दी जाती है कि

क्र0स0	नाम खातेदार काश्तकार	ख0न0	रकबा
1	किशनसहाय पुत्र विशन्याराम जाति मीना निवासी मीना सीमला जिला दौसा खातेदार	1134 1135	0.08 है0 0.08 है0
		कुल किता 2	कुल रकबा 0.16 है0

लगातार PTO

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunita Meena

Date: 2024.05.22 09:22:34 IST

Reason: SelfAttested

(सुनीता मीना)

पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम, जिला-गंगापुर सिटी

पेज न01

2	कजोडया पुत्र पांच्या हिस्सा 1/2 राहिन बी.आर. के.जी.बी मेहन्दीपुर बालाजी, घम्मन पुत्र काना हिस्सा 3/34 बिला रहन, उमरेश पुत्र शम्भू हिस्सा 3/34 राहिन बी.आर.के.जी.बी मेहन्दीपुर बालाजी, केहरी , बाबू, रामकिशोर, रामस्वरूप पि0 घूडया हिस्सा 6/34 राहिन बी.आर.के.जी.बी मेहन्दीपुर बालाजी, भोलाराम, रामचरण पि0 कंचन हि0 5/34 हिस्सा रामचरण एस.बी.बाई. मेहन्दीपुर बालाजी व भोलाराम हिस्सा बिला रहन जाति मीना सा.देह खातेदार	1102 1103 1136 कुल किता 3	0.10 है0 0.16 है0 0.08 है0 कुल रकबा 0.34 है0

उक्त सूची अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। नक्शा ट्रेस की प्रति निर्णय के साथ सलग्न रहेगी। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादी के कब्जे काश्त मे मजाहमत मदाखलत नही करे।

निज......................मुबलिंग.............................बाबत..........................खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरह.....................फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक.............. .अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 07.02.2024 को जारी की गई।

(सुनीता मीना)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-गंगापुर सिटी

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकाल नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			म्हनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			वावत इजराय हुक्मनामा		
ववत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर ... जिला-गंगापुर सिटी

पेज नं-2

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.05.22 09:22:34 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

रजू दिनांकः– 07.01.2022

10:–10/2022

पीठासीन अधिकारीः– सुनीता मीना (आर.ए.एस)

उनवान

किशनसहाय पुत्र विशन्याराम मीना निवासी मीना सीमला तहसील सिकराय जिला दौसा।

(वादी)

बनाम

1. कजोडया पुत्र पांच्या मीना
2. उमरेश पुत्र शिम्भू मीना
3. घम्मन पुत्र कान्हा मीना
4. भोलाराम पुत्र कंचन मीना
5. रामचरण पुत्र कंचन मीना
6. केहरी पुत्र घूडया मीना
7. बाबू पुत्र घूडया मीना
8. रामकिशोर पुत्र घूडया मीना
9. रामस्वरूप पुत्र घूडया मीना
   निवासीयान मेरेडा तहसील टोडाभीम
10. तहसीलदार टोडाभीम।

प्रतिवादीगण

दावा बावत बटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितिः– श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट वादी

निर्णय   दिनांकः– 07.02.2024

वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत ला खालसा की आराजी ख0न0 1102/0.10, 1103/0.16, 1134/0.08, 1136/0.08, कुल ा 5 कुल रकवा 0.50 है0 मे वादी न0 1 बहिस्सा 1/3, प्रतिवादी न0 1 बहिस्सा 1/3, प्रतिवादी 2 ता 5 प्रत्येक बहिस्सा 1/18 तथा प्रतिवादी न0 6 ता 9 प्रत्येक बहिस्सा 1/36 हिस्से के ेदार काश्तकार है। उक्त आराजीयात का बाहमी बटवारा हो रहा है, तथा वादी एवं प्रतिवादी न0 ा 3 अपने–अपने हिस्से पर काबिज एवं दखिल है, तथा अपने–अपने हिस्से का उपयोग उपभोग रहे है।

बॉका दिनांक 24.12.2021 को सुबह 9 बजे का है कि वादी अपनी आराजी की भाल कर रहा था कि प्रतिवादीगण आये तथा कहने लगे तुम इस जमीन को खाली कर दो, हम पर कब्जा करेगे। इस पर वादी ने उन्हे सम[illegible] हिस्से की आरजी मे ात लगाकर निर्माण किया है। इतना सुनते ही प्रतिवादीगण न[illegible]ये तथा कहने लगे कि रे पास तुमसे कम जमीन है। इसलिये हम तु[illegible] तथा तुमको काश्त करने देगे। इस पर वादीगण द्वारा बटवारे के [illegible]र हो गये तथा कहा कि तो हम बटवारा करायेगे ना ही तुम्हे काश्त करने देगे। इस प्र[illegible]र प्रतिवादीगण अपनी इस ष्ठा मे कामयाब हो गये तथा वादी को बेदखल कर कब्जा कर लिया तो वादी को अपूर्तनीय क्षति जावेगी, जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार द्रव्य मे भी संभव नही हो सकेगी। इसलिये यह दावा पेश ना आवश्यक हुआ है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.05.22 09:22:34 IST
Reason: SelfAttested

(सुनीता मीना)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-गंगापुर सिटी

अतः दावा वादी खिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री फरमाई जाकर ग्राम पाडला की ाजी ख0न0 ख0न0 1102/0.10, 1103/0.16, 1134/0.08, 1136/0.08, कुल किता 5 कुल वा 0.50 है0 मे वादी व प्रतिवादीगण के हिस्से व कब्जे के अनुसार बटवारा स्कीम जरिये मौका श्नर तलब फरमाई जावे तथा बाद जॉच रिपोर्ट कमिश्नर डिक्री पारित फरमाई जाकर ग—अलग खातेदारी कायम किया जावे तथा उक्त वर्णित आराजीया तमे वादी के हिस्से व कब्जे नजाहमत मदाखलत नही करे, वादीगण को बेदखल नही करे, आराजी को खुर्द बुर्द नही करे, व रिकार्ड की स्थिति यथावत बनाये रखे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी 10 पैरोकार सरकार तहसीलदार टोडाभीम उपस्थित, प्रतिवादी न0 1 ता 9 बावजूद सूचना स्थित नही होने से इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

वादी का हिस्सा अलग कायम कराने हेतु दावा तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा पेश पर बाद सुनवाई दावा प्राथमिक डिक्री कर अलग—अलग खाता कायम करने हेतु तहसीलदार भीम को बटवारा कमीश्नर नियुक्त किया गया। तहसीलदार टोडाभीम से प्राप्त बटवारा स्कीम वादी वकील ने अवलोकन कर अपनी बहस मे बटवारा स्कीम के अनुसार दावा फाईनल डिक्री का कथन कर सहमति दर्ज कराई।

वादी वकील की बहस पर मनन करते हुये पत्रावली मे शामिल दस्तावेजो, व ारा स्कीम का अवलोकन किया गया। तहसीलदार टोडाभीम द्वारा प्रस्तुत बटवारा स्कीम का ोकन किया गया। प्रस्तुत बटवारा स्कीम के अवलोकन से स्पष्ट है कि विभाजन स्कीम रिकार्ड र्ज हिस्सानुसार व कब्जेनुसार तैयार की गई है। तथा वकील वादी भी प्रस्तुत बटवारा स्कीम से ति प्रदान किये जाने से वादपत्र मे वर्णित आराजीयात ग्राम पाडला खालसा की बटवारा स्कीम नुसार दावा निम्नानुसार फाईनल डिक्री किया जाता है।

0	नाम खातेदार काश्तकार	ख0न0	रकवा
	किशनसहाय पुत्र विशन्याराम जाति मीना निवासी मीना सीमला जिला दौसा खातेदार	1134 1135	0.08 है0 0.08 है0
		कुल किता 2	कुल रकवा 0.16 है0
	कजोडया पुत्र पांच्या हिस्सा 1/2 राहिन बी.आर.के. जी.बी मेहन्दीपुर बालाजी, घम्मन पुत्र काना हिस्सा 3/34 बिला रहन, उमरेश पुत्र शम्भू हिस्सा 3/34 राहिन बी.आर.के.जी.बी मेहन्दीपुर बालाजी, केहरी , बाबू, रामकिशोर, रामस्वरूप पि0 घूडया हिस्सा 6/34 राहिन बी.आर.के.जी.बी मेहन्दीपुर बालाजी, भोलाराम, रामचरण पि0 कंचन हि0 5/34 हिस्सा रामचरण एस.बी.बाई. मेहन्दीपुर बालाजी व भोलाराम हिस्सा बिला रहन जाति मीना सा.देह खातेदार	1102 1103 1136	0.10 है0 0.16 है0 0.08 है0
		कुल किता 3	कुल रकवा 0.34 है0

उक्त सूची अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। नक्शा ट्रेस की प्रति य के साथ सलग्न रहेगी। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादी ब्जे काश्त मे मजाहमत मदाखलत नही करे। खर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 07.02.2024 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.05.22 09:22:34 IST
Reason: SelfAttested

(सुनीता मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी